न्यायालय अपर तहसीलदार तहसील जूनी इन्दौर जिला इन्दौर

राजस्व प्रकरण क्र.– 0007/अ–68/2025–26

म0 प्र0 शासन तर्फे हल्का पटवारी
ग्राम कस्बा इन्दौर जिला इन्दौर

.....आवेदक

विरूद्ध

1–सैयद शाहिर अली जाति मुस्लिम
2–मस्जिद अध्यक्ष सदर अंजुमन इस्ला–उल–मुस्लेमिन
3–वक्फ बोर्ड
सभी निवासी– इन्दौर

.....अनावेदक/अतिक्रमणकर्ता

–:: आदेश ::–
(पारित दिनांक 10/02/2026)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि म0प्र0 शासन तर्फे हल्का पटवारी ग्राम कस्बा इन्दौर तहसील जूनी इन्दौर जिला इन्दौर के द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें लेख कर अवगत कराया है कि ग्राम कस्बा इन्दौर अंतर्गत अनसर्वेड रेसीडेन्सी क्षेत्र में स्थित सी.आर.पी. लाईन क्षेत्र के ब्लॉक नंबर 12 क्षेत्रफल 0.70 एकड़ अर्थात् 30,000 वर्गफीट लगभग हे. भूमि नजूल भूमि अभिलेख में दर्ज है। उक्त ब्लॉक की भूमि में वर्तमान में एक मस्जिद का निर्माण एवं बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण किया गया है। यहां के आस पास के निवासियों द्वारा बताया गया कि कुछ वर्ष पूर्व यहां पर छोटी सी मस्जिद थी व आसपास की भूमि खुली थी जिस पर वर्तमान में अतिक्रमण किया जाकर मुसाफिरखाना एवं बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण किया गया।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनावेदकगण 1–वक्फ बोर्ड एवं 2–मस्जिद अध्यक्ष सदर अंजुमन इस्ला–उल–मुस्लेमिन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। सूचना तामील उपरांत अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री जगमीत सिंह नारायण एवं शाबिर हाशमी कार्यपालन अधिकारी वक्फ बोर्ड के द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। लिखित जवाब में यह बताया गया कि– 1. इस न्यायालय द्वारा अनावेदक को दिनांक 13.10.2025 को सूचना पत्र के माध्यम से यह सूचित किया गया कि एम.वाय. अस्पताल के पीछे सीआरपी लाईन के अनसर्वेड ब्लॉक कमांक 6, 11, 12 पर एक मस्जिद निर्मित है जिसका कुल क्षेत्रफल 40,000 है तथा उक्त भूमि पर बाउण्ड्रीवॉल बनाकर निर्माण कार्य कर लिया गया है तथा उक्त भूमि अनसर्वेड रेसीडेंसी एरिया की भूमि है जो कि नजूल भूमि (शासकीय भूमि) के रूप में दर्ज है। 2. उक्त भूमि सन् 1967 से ही मस्जिद एवं इन्दौर वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज है जिसका कुल क्षेत्रफल 30,400 वर्गफीट है तथा उक्त संपत्ति पर माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 17.06.1994 को यह अनापत्ति दी गई थी कि उपरोक्त निर्माण से पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है जिसकी प्रति संलग्न है। 3. उक्त संपत्ति पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल द्वारा अंजुम इस्लाहुल मुस्लिमीन छावनी जामा मस्जिद के नाम 80,00,000 लाख /– रूपए का लोन भी किया गया है जिसकी सालाना ईएमआई 6,00,000 लाख/– रूपए अंजुम इस्लाहुल मुस्लिमीन छावनी जामा मस्जिद द्वारा दी जाती है। जिसकी प्रति संलग्न है। 4. अनावेदक द्वारा शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अवैध कब्जा या निर्माण नहीं किया गया है तथा मस्जिद की भूमि का कुल क्षेत्रफल 30,400 वर्गफीट है जिस पर मस्जिद एवं मुसाफिरखाने का निर्माण किया गया है। अतः

अपर तहसीलदार
तहसील जूनी इन्दौर

उक्त शिकायत पत्र निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया। -- उक्त जवाब के साथ में शपथ पत्र, नजूल मेंटेनेंस ग्राम रेसीडेंसी क्षेत्र का तथाकथित खसरा (जिसमें प्लॉट नंबर 12 कुल क्षेत्रफल 0.70 एकड़ 30,400 वर्गफीट भूमि पर कब्जेदार का नाम/वल्दीयत/सकूनत के स्थान पर सीआरपी लाईन मस्जिद का नाम दर्ज है, जिसकी चतुःसीमा :- उत्तर में : प्लॉट नंबर 6, दक्षिण में : प्लॉट नंबर 6 व 8, पूर्व में : प्लॉट नंबर 11, पश्चिम में : प्लॉट नंबर 6 उल्लेखित है) उक्त खसरे की छायाप्रति, सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल द्वारा जारी पत्रों की छायाप्रतियां, तत्कालीन कलेक्टर महोदय के द्वारा जारी अर्द्धशासकीय पत्र (जिसके अनुसार मुसाफिरखाने के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदाय की गई) संलग्न कर प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में उक्त के संबंध में नगर पालिक निगम इन्दौर भवन अनुज्ञा अधिकारी जोन कमांक 11 से अनुमति के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया एवं सहायक कमांडेंट सीआरपी लाईन को उक्त निर्माण की एनओसी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। जिसमें कार्यालय नगर पालिक निगम इन्दौर की ओर से भवन अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उक्त के संबंध में उक्त स्थल पर नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा केवल मुसाफिरखाने के निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा (दाखला कमांक 1231 दिनांक 11.11.2003) जारी की गई। उक्त प्रतिवेदन के साथ में भवन अधिकारी के द्वारा दस्तावेज भी प्रेषित किये गए। जिसके परीक्षण में पाया गया कि पूर्व में वर्ष 1985 में पुलिस लाईन छावनी मस्जिद 3040 वर्गफीट भूमि के तथाकथित खसरा नंबर 12 पर अंकित वक्फ कमेटी को शासकीय लोक निर्माण विभाग ने अपने पत्र कमांक 5637/टीएस/बीएसआर0785-86 दिनांक 18.07.1985 द्वारा अनापत्ति प्रदान की गई। दिनांक 30.01.1986 को कार्यालय पुलिस अधीक्षक इन्दौर के द्वारा आयुक्त महोदय नगर पालिका निगम इन्दौर को पत्र जारी कर दिनांक 09.09.1985 को मुसाफिरखाना बनवाने के लिये नगर निगम इन्दौर से प्रदाय की गई अनुमति को निरस्त कर स्टे ऑर्डर देने हेतु निवेदन किया गया। उक्त भूमि पर मुसाफिरखाना निर्माण के संबंध में अपील प्रकरण कमांक 225/86 आदेश दिनांक 16.11.1988 को प्रशासन नगर पालिक निगम के द्वारा अपीलार्थी अंजुमन इस्लाहुल मुस्लेमिन तर्फे अध्यक्ष हाजी अब्दुल माजीद जामा मस्जिद छावनी इन्दौर की अपील स्वीकार करते हुए नगर निगम आयुक्त महोदय को दोनों पक्षों को सुनकर लेखी साक्ष्य के आधार पर निर्णय करने हेतु आदेशित किया गया था। अर्बन लैंड सीलिंग इन्दौर के पत्र कमांक 10462/यूएलसी/81 दिनांक 06.05.1981 के तहत् मुसाफिरखाना निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदाय की गई। संलग्न पत्र कमांक कार्यालय कलेक्टर जिला इन्दौर 1711/नजूल/85 दिनांक 14.08.1985 के माध्यम से लेख किया गया है कि लोक निर्माण विभाग के पत्र कमांक 5637/टीएस/बीएण्डआर/85-86 दिनांक 18.07.1985 द्वारा अनावेदक को अनापत्ति प्रदाय की जा चुकी है, 'वैसे भी उक्त भूमि वक्फ बोर्ड के स्वामित्व की होना लेख किया गया तथा नजूल भूमि से इसका कोई संबंध नहीं होना लेख किया गया'। इसके संबंध में उक्त पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार लोक निर्माण विभाग के द्वारा ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है बल्कि उनके द्वारा कोई केवल 'पीडब्ल्यूडी की भूमि नहीं होना लेख किया गया'।

प्रकरण में नजूल अधिकारी को उक्त के संबंध में सीआरपी लाईन के मस्जिद की मालकी बाबद् एनओसी प्रदाय किये जाने से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध कोई नस्ती/दस्तावेज/जांच प्रतिवेदन आदि की जानकारी प्रदाय किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया। जिस हेतु नजूल अधिकारी के द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि "उक्त नस्ती लगभग 40 वर्ष पुरानी होकर वर्तमान में इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। प्रकरण को शोध करवाया जा रहा है शोध उपरांत नस्ती प्राप्त होने पर तत्संबंध में अवगत कराया जा सकेगा।"

प्रकरण में भवन अधिकारी के द्वारा नक्शा संलग्न कर प्रस्तुत किया गया एवं उक्त नक्शे के साथ में इन्दौर नगर पालिक निगम कार्यालय के जनकार्य विभाग (भवन अनुमति शाखा) के द्वारा जारी पत्र कमांक 4453 क्षेत्र कमांक 7 दिनांक 31.03.1997 के अनुसार सीआरपी लाईन मस्जिद

अपर तहसीलदार
तहसील जूनी इन्दौर

1. क्या उक्त भूमि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अनुसार शासकीय/दखलरहित भूमि है ? आबादी/सेवा भूमि या किसी अन्य श्रेणी की भूमि (जो कि अन्य धारा 237 के अधीन है) के अंतर्गत आती है ? या उक्त भूमि किसी निगमित निकाय की संपत्ति है ?
2. क्या अनावेदक के द्वारा अनाधिकृत रूप से शासकीय/दखलरहित भूमि पर कब्जा किया है ?
3. क्या उक्त भूमि पर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के परन्तुक के बिन्दु कमांक (एक) और बिन्दु कमांक (दो) के अंतर्गत कार्यवाही करने से तहसीलदार को वर्जित किया गया है ?
4. क्या अनावेदक को शासकीय भूमि से बेदखल किया जाना उचित है ?
5. क्या कलेक्टर महोदय के द्वारा उक्त भूमि के संबंध में अनावेदक को अनापत्ति दी गई है ?

बिंदु कमांक 1 के अनुसार – *क्या उक्त भूमि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 57 के तहत शासकीय भूमि एवं धारा 158 के तहत दखलरहित भूमि है ? आबादी/सेवा भूमि या किसी अन्य श्रेणी की भूमि (जो कि अन्य धारा 237 के अधीन है) के अंतर्गत आती है ? या उक्त भूमि किसी निगमित निकाय की संपत्ति है ?* – म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 158 के अनुसार भूमिस्वामी शब्द को परिभाषित किया गया है। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के समय या उल्लेखित किन्हीं भी वर्गों का हो "भूमिस्वामी" कहलाएगा। अतः अनावेदक के द्वारा अपने स्वामित्व के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वह भूमिस्वामी प्रमाणित होता हो। मात्र अनापत्ति पत्र एवं वक्फ बोर्ड उल्लेख कर देने से या अनसर्वेड रेसीडेंसी एरिया के तथाकथित खसरे में प्रविष्टि से अनावेदक का स्वामित्व सिद्ध नहीं होता है। उक्त के संबंध में हल्का पटवारी के पास उपलब्ध अनसर्वेड रेसीडेंसी एरिया के खसरा फॉर्म पी–2 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार उसमें सीआरपी लाईन लिखा हुआ पाया गया एवं सीआरपी लाईन के नीचे अलग हैण्डराईटिंग में मस्जिद लिखा हुआ पाया गया। उक्त समस्त दस्तावेजों से प्रमाणित होता है कि उक्त भूमि मस्जिद/वक्फ बोर्ड के स्वामित्व की नहीं है।

उक्त के संबंध में *मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 की कंडिका (3) की उपकंडिका (1) के बिन्दु कमांक (ग) "नजूल भूमि" के अंतर्गत है, संहिता की धारा 2 (1) (य–3) में यथापरिभाषित समस्त दखलरहित भूमि तथा राज्य शासन के द्वारा गैर–कृषि प्रयोजन के लिये पट्टे पर दी गई भूमि (जिसमें संहिता की धारा 2 (1) (य–3) के अंतर्गत – "दखलरहित भूमि" से अभिप्रेत है, ऐसी भूमि जो आबादी या सेवाभूमि से या किसी भूमिस्वामी या सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि से भिन्न है ;) : – परन्तु नगरेतर क्षेत्र में संहिता की धारा 237 के अंतर्गत निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिये पृथक् रखी गई भूमि तथा धारा 233–क के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में लोक प्रयोजन के लिये पृथक् रखी गई भूमि नजूल भूमि नहीं है ;* तथा मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक एफ–6–255/2001/सात/नजूल भोपाल, दिनांक 25.04.2005 के पत्र के अनुसार रेसीडेंसी एरिया क्षेत्र इन्दौर में स्थित भूमियां जो पूर्व में रेसीडेंसी एरिया अथॉरिटी के नाम दर्ज थीं। मध्यप्रदेश शासन में समाहित हो चुकी हैं एवं नजूल भूमि के रूप में शासकीय नियमों के तहत् प्रशासित हैं, अतः इस क्षेत्र की समस्त भूमियों को राज्य सरकार की मानकर नजूल भूमि की तरह प्रबंधन किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।" अतः कार्यालय कलेक्टर जिला इन्दौर के द्वारा जारी पत्र कमांक 1711/नजूल/85 दिनांक 14.08.1985 के अनुसार रेसीडेंसी स्थित जिस प्रश्नाधीन भूमि को 'वक्फ बोर्ड के स्वामित्व की होना लेख किया गया तथा नजूल भूमि से इसका कोई संबंध नहीं होना लेख किया गया था' उक्त पत्र के माध्यम से खण्डन हो जाता है। अतः यह प्रमाणित होता है कि प्रश्नाधीन भूमि दखलरहित/शासकीय (नजूल) की भूमि है। उक्त के संबंध में ओआईसी महोदय नजूल शाखा को कलेक्टर महोदय द्वारा पत्र कमांक 1711/न0अ0/85 सूची 741 इन्दौर दिनांक 14.08.1985 को जारी अनापत्ति के संबंध में (जिसमें उल्लेखित है कि "प्रेसीडेंट अंजुमन कमेटी सीआरपी लाईन के मस्जिद की मालकी बाबद् एनओसी प्रदाय की गई है एवं उक्त भूमि वक्फ बोर्ड के स्वामित्व की है तथा यह भी लेख किया है कि नजूल से इसका कोई संबंध नहीं है।") उक्त जानकारी के संबंध में उपलब्ध नस्ती प्रदाय किये जाने हेतु पत्र जारी कर निवेदन किया गया परंतु

अपर तहसीलदार
तहसील-सूची इन्दौर

ओआईसी महोदय नजूल शाखा के द्वारा उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार की कोई नस्ती प्रदाय नहीं की गई।

बिंदु कमांक 2 के अनुसार – *क्या अनावेदक के द्वारा अनाधिकृत रूप से शासकीय/दखलरहित भूमि पर कब्जा किया है ?* इस बिंदु के संबंध में अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण किया गया एवं नगर निगम भवन अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अनावेदक को मात्र 987.44 वर्गमीटर भूमि पर मुसाफिरखाने के निर्माण की अनुमति प्रदाय की गई है एवं तत्कालीन कलेक्टर महोदय के द्वारा भी अनापत्ति प्रदाय की गई है। इस कारण से मुसाफिरखाना अनाधिकृत कब्जे की श्रेणी में नहीं आता है लेकिन इसके अतिरिक्त शासकीय भूमि पर मस्जिद लगभग वर्ष 1967 से 300 वर्गफीट पर निर्मित थी। यह गूगल इमेज एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होता है लेकिन सेटेलाईट इमेज से यह प्रमाणित है कि मस्जिद प्रशासन के द्वारा अनाधिकृत रूप से शासकीय भूमि पर विस्तार करते हुए बाउण्ड्रीवॉल एवं मस्जिद का विस्तार कर लिया गया है, जो कि अनाधिकृत है।

म0प्र0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय के पत्र कमांक 359/न.प्र.वि./2003 दिनांक 22.07.2003 एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप कमांक एफ–6–255/2001–सात/नजूल/दिनांक 17.01.2003 के माध्यम से अवगत कराया गया कि उक्त पत्र एवं शासन के निर्देशों तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर यह पूर्णतः स्पष्ट है कि रेसीडेंसी एरिया के अंतर्गत आने वाली समस्त भूमि शासकीय नजूल भूमि है तथा उसका प्रबंधन एवं नियंत्रण म0प्र0 शासन के राजस्व विभाग/नजूल विभाग एवं जिला कलेक्टर महोदय के अधीन है। नगर निगम इन्दौर का इस भूमि के प्रबंधन से कोई अधिकार नहीं है। अतः रेसीडेंसी एरिया की किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय भूमि पर कलेक्टर नजूल की पूर्व स्वीकृति के बिना न तो अभिन्यास ले–आउट स्वीकृत किया जा सकता है और न ही भवन निर्माण अथवा विकास अनुमति जारी की जा सकती है।

अतः यह प्रमाणित होता है कि अनावेदक के द्वारा अनाधिकृत रूप से शासकीय भूमि पर कब्जा किया है एवं उपरोक्त आधारों पर बिन्दु कमांक 2 का विनिश्चय हॉं है।

बिंदु कमांक 3 के अनुसार – *क्या शासकीय भूमि पर मंदिर/मस्जिद/अन्य कोई धार्मिक स्थल निर्माण होने पर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 तहसीलदार को कार्यवाही करने से वर्जित करती है ?* उक्त संबंध में यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि शासकीय नजूल भूमि है। जिसके संबंध में *म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार (1) कोई भी व्यक्ति, जो कि अनाधिकृत रूप से दखलरहित भूमि, आबादी, सेवा भूमि या किसी ऐसी अन्य भूमि पर, जो धारा 237 के अधीन या धारा 233–क के अधीन किसी लोक प्रयोजन के लिये पृथक रखी गई हो (या किसी ऐसी भूमि पर, जो शासन की या राज्य की किसी अधिनियमिति के अधीन गठित या स्थापित संस्था या किसी प्राधिकारी, निगमित निकाय की संपत्ति हो) कब्जा कर लेते हैं या उस पर कब्जा बनाए रखता है, तहसीलदार के आदेश द्वारा संक्षिप्ततः बेदखल किया जा सकेगा एवं उक्त बिन्दु के परन्तुक (दो) के अनुसार तहसीलदार –– मध्य भारत क्षेत्र में अगस्त सन् 1950 के पन्द्रहवें दिन के पूर्व; निर्मित भवनों या निर्माण काया द्वारा किये गए अधिकमण के संबंध में इस उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में नहीं लाएगा।* उपरोक्तानुसार यह प्रमाणित है कि प्रश्नाधीन भूमि पर मस्जिद का निर्माण वर्ष 1967 में किया गया है एवं वर्ष 2012 में दखलरहित भूमि पर बांउण्ड्रीवॉल बनाकर अतिरिक्त निर्माण किये गए हैं। निष्कर्षतः शासकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से किसी प्रकार की धार्मिक संरचना के निर्माण को हटाए जाने से म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 तहसीलदार को कार्यवाही करने से वर्जित नहीं करती है।

निष्कर्षतः :– प्रकरण में आए समस्त तथ्यों के विवेचना उपरांत यह स्पष्ट है कि वस्तुस्थिति अनुसार मूल मस्जिद बहुत पुराने समय से है और उक्त मस्जिद का निर्माण 300 वर्गफीट

अपर तहसीलदार
तहसील–जूनी इन्दौर

मुसाफिर खाना के अध्यक्ष के द्वारा कलेक्टर महोदय की अनुमति के आधार पर प्रस्तुत नक्शे के संबंध में अनुमति इस शर्त पर प्रदाय की गई जिसमें लेख है कि "ग्राउण्ड फ्लोर पर पार्किंग 16 के मान से छोड़ना होगी। साथ ही यदि मालकी बाबद् या अन्य ऐसे कोई भी तथ्य छिपाए गए होंगे एवं धार्मिक प्रयोजन के अलावा निर्माण कार्य व्यावसायिक होने पर दी गई अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त होकर शून्य मानी जावेगी।" एवं इसके साथ संलग्न भवन निर्माण अनुमति प्रमाण–पत्र कमांक 1231/भवन अनुज्ञा/उत्तर/दक्षिण दिनांक 11.11.2003 में लेख है कि "स्वीकृति मानचित्र में दर्शाए पार्किंग स्थल हेतु उपरोक्त स्वीकृति अनुसार आपके भूखण्ड 3106.40 वर्गमीटर पर निर्धारित 1.5 एफ.आर. के साथ आवासीय/वाणिज्यिक/आवासीय सह वाणिज्यिक/औद्योगिक/सार्वजनिक भूमि उपयोग के अनुसार आपके कुल क्षेत्रफल 987.44 वर्गमीटर पर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। तथा यह भी उल्लेखित है कि छिपाए गए तथ्यों की स्थिति में अथवा किसी विवाद या विभाग से आपत्ति आने पर दी गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।"

प्रकरण में सीआरपी लाईन असिस्टेंट कमांडेंट द्वारा आज दिनांक तक स्मरण पत्र जारी किये जाने के उपरांत कोई जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए परंतु भवन अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के साथ में संलग्न पत्रों के अनुसार दिनांक 30.01.1986 को कार्यालय पुलिस अधीक्षक इन्दौर के द्वारा आयुक्त महोदय नगर पालिका निगम इन्दौर को पत्र जारी कर दिनांक 09.09.1985 को मुसाफिरखाना बनवाने के लिये नगर निगम इन्दौर से प्रदाय की गई अनुमति को निरस्त कर स्टे ऑर्डर देने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में अनावेदक शाबिर हाशमी कार्यपालन अधिकारी वक्फ बोर्ड के द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया जिसके अनुसार एमवाय अस्पताल के पीछे सीआरपी लाईन के ब्लॉक कमांक 6, 11, 12 पर कुल 40,000 वर्गफीट क्षेत्रफल पर मस्जिद निर्मित है जो कि वर्ष 1967 से ही मस्जिद एवं इन्दौर वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज है एवं जिसके संबंध में यह लेख किया गया है कि उक्त संपत्ति पर माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 17.06.1994 को यह अनापत्ति दी गई थी कि उपरोक्त निर्माण से पुलिस विभाग को एवं जिला प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है। इस पूर्वोक्त उल्लेखित बिन्दु से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि वह स्थल जिस पर मस्जिद एवं मुसाफिरखाने का निर्माण किया गया है वह भूमि शासकीय भूमि है तथा नजूल मेंटेनेंस ग्राम रेसीडेंसी क्षेत्र के खसरे में उक्त भूमि सीआरपी लाईन मस्जिद लेख है, चूंकि नजूल भूमि शासकीय भूमि होती है। अतः केवल अनावेदक द्वारा मात्र यह लेख कर देने से कि "वर्ष 1967 से ही उक्त भूमि मस्जिद एवं इन्दौर वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज है" अनावेदक उक्त भूमि की भूमिस्वामी की श्रेणी में नहीं समझा जाएगा एवं म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 158 के अनुसार अनावेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज भूमिस्वामी अधिकार सिद्ध नहीं करता। अवैध अतिक्रमणकर्ता, चाहे वह कितने ही वर्षों से क्यों न हो भूमिस्वामी नहीं माना जाएगा एवं लंबे समय से बनी होने मात्र से कोई भी व्यक्ति या संस्था भूमिस्वामी नहीं बन जाती।

अनावेदक द्वारा अपने जवाब में यह लेख किया कि अनावेदक के द्वारा शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अवैध कब्जा या निर्माण नहीं किया गया है तथा मस्जिद की भूमि का कुल क्षेत्रफल 30400 वर्गफीट है जिस पर मस्जिद एवं मुसाफिरखाने का निर्माण किया गया है। उक्त के संबंध में मस्जिद के क्षेत्रफल की स्थिति को स्पष्ट किये जाने हेतु वर्ष 1985 से लेकर वर्ष 2025 तक की प्राप्त ऑनलाईन अपलोडेड गूगल सेटेलाईट इमेज का भी विश्लेषण किया गया। जिसमें ज्ञात हुआ कि वर्ष 1985 की इमेज में छोटी सी मस्जिद की आकृति प्रदर्शित है एवं इसके पश्चात् के वर्षों में वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2025 तक मस्जिद की भूमि के समीप अन्य निर्माणाकृतियां (जो कि अनावेदक के जवाब अनुसार पूर्व से निर्मित मुसाफिरखाना है) वह प्रदर्शित हो रही हैं।

प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब, नगर निगम के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं पर विनिश्चय करना है :–

अपर तहसीलदार
तहसील–जूनी इन्दौर

के क्षेत्रफल में बना हुआ है, जिसे अनावेदक द्वारा अपने जवाब में भी स्वीकार किया गया है। गूगल सेटेलाईट इमेज से भी यह प्रमाणित है कि उक्त भूमि का निर्माण 300 वर्गफीट में हुआ था जिसे बाद में तथाकथित पी–2 में सीआरपी लाईन में अतिरिक्त "मस्जिद" शब्द को भिन्न हैण्डराईटिंग में लेख किया गया है, पर इससे भूमिस्वामी अधिकार उत्पन्न नहीं होता परंतु मस्जिद की मूल संरचना की आड़ में बाउण्ड्रीवॉल बनाकर जो कि नया निर्माण/विस्तार है, शासकीय भूमि पर बिना अनुमति बना है, अतः यह स्पष्ट अवैध अतिक्रमण है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 57 के अनुसार जो भूमि निजी स्वामित्व में सिद्ध नहीं हो, वह शासन की मानी जाएगी। अतः म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत् तहसीलदार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनसर्वेड रेसीडेंसी एरिया स्थित ब्लॉक नंबर 11, 12 (वर्तमान सर्वे उपरांत ब्लॉक नंबर 38) पर अनाधिकृत कब्जा करना प्रमाणित पाया गया है। अतः अनावेदकगणों को प्रश्नाधीन भूमि पर निर्मित मस्जिद की मूल संरचना एवं मुसाफिरखाना के अतिरिक्त बनी बाउण्ड्रीवॉल तथा अन्य निर्माणाकृतियों से बेदखल किये जाने हेतु बेदखली आदेश पारित किया जाता है एवं मुसाफिरखाने के निर्माण की अनुमति भवन अधिकारी नगर निगम इन्दौर के द्वारा पूर्व में श्रीमान् कलेक्टर महोदय के द्वारा जारी अनापत्ति के आधार पर जारी की गई है। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु पृथक से पत्र जारी हो।

अनावेदक सूचित हो। अनावेदक अपना अतिक्रमण 03 दिवस में स्वयं हटाकर सूचित करे। राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी अनावेदक द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने की दशा में अतिक्रमण हटाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय में टंकित एवं उद्घोषित।

अपर तहसीलदार
तहसील-जूनी इन्दौर